फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नोखा

छोटीदेवी पत्नी लिछूराम पुत्री हजारीराम जाति जाट निवासी मुन्दड़ तहसील नोखा जिला बीक

बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा वगैरहा

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05 /2020 **U/S 136 RLRA**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
03.02.2020	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया छोटीदेवी पत्नी हजारीराम पुत्री हजारीराम ने पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीया ने निवेदन किया कि मेरे सभी दस्तावेजात में मेरा नाम छोटीदेवी पत्नी लिछूराम अंकित है जबकि वाके रोही मुन्दड़ के खेत खसरा नम्बर 239, 276, 278, 280, 281 कुल किता 5 कुल रकबा 12.76 हैक्टेयर एवं वाके रोही भगवानपुरा के खेत खसरा नम्बर 408 रकबा 10.16 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम किसनी पुत्री हजारीराम नाम अंकित है। जिसे दुरूस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है। भूमि रहन है। हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते है कि वाके रोही मुन्दड़ के खेत खसरा नम्बर 239, 276, 278, 280, 281 कुल किता 5 कुल रकबा 12.76 हैक्टेयर एवं वाके रोही भगवानपुरा के खेत खसरा नम्बर 408 रकबा 10.16 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम किसनी पुत्री हजारीराम के स्थान पर छोटीदेवी पत्नी लिछूराम पुत्री हजारीराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया। 3/2/20 (रमेश देव) उपखण्ड अधिकारी नोखा उपखण्ड अधिकारी नोखा (बीकानेर)	

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.02.17 22:11:59 IST
Reason: SelfAttested